

प्रेस- नोटथाना बिलरियागंजअवैध गांजा के साथ शांति अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.11.2023 को उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय मय फोर्स द्वारा चेकिंग के दौरान अलाऊद्दीन पट्टी हरिजन बस्ती नहर पुलिया के पास से अभियुक्त मोहम्मद तैय्यब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू निवासी ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को 1 किलो 477 ग्राम नाजायज गांजा के साथ समय 10.22 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार मु0अ0सं0 395/2023 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मोहम्मद तैय्यब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू निवासी ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
बरामदगी-

1. 1 किग्रा0 477 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 395/2023 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 395/2023 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 170/2021 धारा 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 168/2021 धारा 34/307/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2. हे0का0 रामनिवास यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

3. का0 महेन्द्र मौर्या थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदहकिशोरी के साथ छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक- 09.11.2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि विपक्षी दीपक पुत्र रामजीत (जीता) द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़खानी करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 470/23 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम दीपक पुत्र रामजीत उर्फ जीता ग्राम ठेकमा थाना बरदह आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण- दिनांक 11.11.23 उ0नि0 रामकृपाल सोनकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से अभियुक्त दीपक पुत्र रामजीत उर्फ जीता ग्राम ठेकमा थाना बरदह आजमगढ़ को ग्राम सादीपुर पोखरे से समय 10.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण: दीपक पुत्र रामजीत उर्फ जीता ग्राम ठेकमा थाना बरदह आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 470/23 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बरदह आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 470/23 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बरदह आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 211/23 धारा 354/452/506 भादवि थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 रामकृपाल सोनकर थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

2. का0 पंकज यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

3. का0 सत्येन्द्र गुप्ता थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

थाना- दीदारगंज

दुष्कर्म करने व हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना.. दिनांक 7.11.2023 को वादी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी प्रदीप कुमार पुत्र श्यामधारी ग्राम बनगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़ द्वारा वादी की बहन के साथ दुष्कर्म किया गया व दुपट्टे से गला दबाकर हत्या का प्रयास किया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 292/23 धारा 376,307 भादवि बनाम प्रदीप कुमार पुत्र श्यामधारी ग्राम बनगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़ पंजीकृत किया था। जिसमें अभियुक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 11.11.2023 को प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र श्यामधारी ग्राम बनगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़ को जैगंहा मोड के पास से समय 8.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। तथा घटना में प्रयुक्त एक दुपट्टा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 292/23 धारा 376,307 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-प्रदीप कुमार पुत्र श्यामधारी ग्राम बनगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र लगभग 25 वर्ष

बरामदगी – .घटना में प्रयुक्त एक अदद दुपट्टा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1.प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़
- 2.का0 मितिश कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़
- 3.कां0 प्रदीप कुमार सोनी थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर

रूपया डबल करने के नाम पर फ्रॉड हुआ कुल 23750/- रूपया वापस कराया गया

पूर्व की घटना:- दिनांक 14.08.2022 को आवेदिका आयशा परवीन पत्नी मो0 सरफराज निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के खाते से साइबर फ्राड करके पैसा डबल करने के नाम पर कुल 53551/- रूपया साइबर फ्रॉड द्वारा काट लिया गया था। कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम द्वारा आवेदिका से तत्काल साइबर हेल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर 1930 पर कॉल कराकर कम्प्लेन्ट नं0 33108220066480 दर्ज कराया गया था।

रूपया वापसी का विवरण:- आवेदिका आवेदिका आयशा परवीन पत्नी मो0 सरफराज निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र की जाँच के क्रम में प्रभारी निरीक्षक महोदय राजेश कुमार के निर्देशन में कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम द्वारा बैंक व साइबर सेल की मदद से आवेदिका आयशा परवीन के खाते में कुल 23750/- रूपया वापस कराया गया है। आवेदिका अपना फ्रॉड के माध्यम से कटा हुआ रूपया वापस पाकर पुलिस का आभार व्यक्त किया है। जिसकी विडियो संलग्न किया जा रहा है।

पुलिस टीम:-

प्र0नि0 राजेश कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- बिलरियागंज

अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.11.2023 को उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान शिब्ली कालेज जाने वाले मोड़ के पास से अभियुक्त गुड्डू पुत्र मो0 हाशिम ग्राम अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट. में समय 07.15 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त- गुड्डू पुत्र मो0 हाशिम ग्राम अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- अवैध 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 394/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 394/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 289/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 176/2016 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।